न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./72/19/टोंक (2019/00072)

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, निवाई दिनांक 24–10–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार पारीक भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई, जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 26.07.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, निवाई के आदेश दिनांक 24–10–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 6–4–2018 को एक नोटिस अन्तर्गत नियम 17 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

आप श्री दिनेश कुमार पारीक भू–अभिलेख निरीक्षक करेडाबुजुर्ग हाल अतिरिक्त चार्ज कस्बा निवाई का रखते हुए आप दिनांक 29–1–2018 को मुख्यालय से स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित थे। दिनांक 29–1–2018 को शहर निवाई में माननीय वरूण गांधी सांसद महोदय के आगमन पर प्रोटोकॉल व्यवस्था एवं कृषि मण्डी निवाई में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स तुलाई के संबंध में आन्दोलन किये जाने पर आपके निजी/सरकारी मोबाईल बन्द था। तत्पश्चात आपको इस कार्यालय के पत्रांक/पीए./109 दिनांक 29–1–2018 द्वारा उक्त कृत्य के लिए नोटिस जारी किया गया। आपको दिनांक 2–2–2018 को नोटिस तामील हो जाने के पश्चात भी आप द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात इसी क्रम में अंतिम नोटिस पत्रांक 342 दिनांक 23–2–2018 को जारी किया गया जिसकी तामीली दिनांक 26–2–2018 को हो जाने पर भी आपका

उक्त कृत्य का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता को अप्राप्त रहा। आपका यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही, उच्चाधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना व दुराचरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए आप दोषारोपित है।

<u>आरोप संख्या– 2</u>

आप श्री दिनेश कुमार पारीक भू–अभिलेख निरीक्षक करेडाबुजुर्ग हाल अतिरिक्त चार्ज कस्बा निवाई का रखते हुए आपको दिनांक 23–2–2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजकीय कार्यवशः मोबाईल करने पर आप उक्त दिवस को कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर आपको नोटिस पत्रांक 342 दिनांक 23–2–2018 को जारी किया गया जिसकी तामीली दिनांक 26–2–2018 को हो जाने पर भी आपका जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता को अप्राप्त रहा। आपका यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही, उच्चाधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना व दुराचरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 19.04.2018 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 29–5–2018 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 24–10–2018 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, निवाई के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या एक व दो के संबंध में कथन किया कि अपीलांट के प्रकरण में प्रार्थी पर आरोप आरोपित करने वाले अधिकारी उपखण्ड अधिकारी ही है और वही जांच अधिकारी बनकर निर्णय करते है ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी निवाई का दण्डादेश दिनांक 24–10–2018 अपने आप में प्रभाव शून्य व न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाला होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट का पदस्थापन सर्किल करेडा बुजुर्ग तहसील निवाई पर था और भू.अ. निरीक्षक सर्किल कस्बा निवाई का अतिरिक्त चार्ज था। मोबाईल पर सूचना उपलब्ध न होने के तथ्य को संदेह के आधार पर सही मानते हुए दुर्भावनापूर्वक

अपीलांट को परिनिन्दा दण्ड से दण्डित किया गया है जो न्याय के विश्व मान्य सिद्धान्त की अवहेलना है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि टावर न हाने या मोबाईल रेंज से बाहर होने से भी मोबाईल पर सम्पर्क करने में परेशानी आ सकती है किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने संदेह के आधार पर आरोप बनाकर 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलांट को परिनिन्दा दण्ड से दण्डित कर एसीपी/पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण सेवालाभ से दुर्भावनावश वंचित कर दिया जो कि अपीलांट के साथ घोर अन्याय है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर टोंक के पत्रांक 83 दिनांक 3–1–2019 से उपखण्ड अधिकारी, निवाई से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपने 17 सीसीए की कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है चूंकि अपीलांट के मामले में राजस्थान कानूनगो संघ जिला शाखा टोंक में जिला कलक्टर टोंक को निवेदन किया था कि उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा मनमानीपूर्वक अपीलांट के विरूद्ध क्षेत्राधिकार न होते हुए भी कार्यवाही कर रहे है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियम एवं अपील नियम 1958 के नियम 15 जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है कि अधीनस्थ सेवा के संबंध में विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। निर्देशित किया गया है कि भू3।.निरीक्षक का नियुक्ति प्राधिकारी राजस्व मण्डल है। प्रकरण में शासन सचिव कार्मिक (क–3) विभाग द्वारा दिनांक 10–9–2002 के द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 17–10–86 को निरस्त किया गया है। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी नियम की मूल भावना को नियमों में संशोधन के अतिरिक्त किसी परिपत्र के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में नियुक्ति अधिकारी राजस्व मण्डल होने के कारण जिला कलक्टर से निम्न अधिकारी बिना कलेक्टर की स्वीकृति के विभागीय जांच पर दण्डादेश पारित नहीं कर सकता। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा राज0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया की पालना नहीं कर क्षेत्राधिकार से परे जाकर दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में अपचारी कर्मचारी ने उनके प्रकरण में जिला कलक्टर (भू0अ0) टोंक द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री हरिताभ आदित्य से इस बाबत् चाहे गये स्पष्टीकरण के पत्र क्रमांक 83 दिनांक 03.01.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 381 दिनांक 22–3–2019 से अवगत कराया है कि उप शासन सचिव राज0 सरकार के आदेश क्रमांक एफ–3(1)/कार्मिक/क–3/85 दिनांक 4–3–87 से अनुशासनिक अधिकारियों का प्रत्यायोजन में राज0 सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 17–10–86 से आंशिक संशोधन करते हुए एवं राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 के उपनियम (1) द्वारा पप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड अधिकारी को दो वेतन वृद्धियां असंचायी प्रभाव से रोकने की शक्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है। राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति अधिकारी व अनुशासनिक अधिकारी को वर्गीकृत किया गया है जिसमें स्पष्ट है कि अनुशासनिक अधिकारी जो लघुदण्डादेश दे सेता है विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी या कोई भी अधिकारी जिसके नियंत्रण में कर्मचारी कार्य कर रहा हो यदि ऐसा प्रावधान किया गया है। सीसीए रूल्स 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही जो लघु शास्ति दे सकता है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्राधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु विभिन्न आदेश/आज्ञाए प्रसारित कर प्राधिकृत किया गया है जिसके तहत संबंधित उपखण्ड अधिकारी अधीनस्थ भू.अ.निरीक्षक/पटवारी दोनों के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 17 में विहित प्रक्रिया का पालन कर नियम 14 के उपनियम (1) से (3) में वर्णित लघुशास्तियां आरोपित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है जिसके अन्तर्गत भू.अ.निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा चुकी है।

अपचारी कर्मचारी का यह कथन गलत है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। नियमों में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधीनस्थ कार्मिक उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करता है तो अनुशासनिक अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता है। अपचारी कर्मचारी को दिनांक 2–1–2018 व 29–1–2018 को जरिये तहसीलदार निवाई को वास्ते तामीली भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसका जवाब अपचारी कार्मिक द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किया न ही कार्मिक की तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपचारी कार्मिक को अंतिम नोटिस दिनांक 23–2–2018 को जारी किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अपचारी कार्मिक को अंतिम स्मरण पत्र तामील हो चुका था। तत्पश्चात नियम 17 सीसीए के तहत अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र

जारी कर तहसीलदार निवाई को तीन दिवस में तामील कराकर तामीली रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने से पूर्व अपचारी कार्मिक को कार्यालय स्तर से कारण बताओं नोटिस जारी करने के पश्चात अपचारी कार्मिक द्वारा अनुशासनात्मक अधिकारी को जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर स्मरण नोटिस प्रथम, अंतिम जारी किया जा चुका था किन्तु अपचारी कार्मिक द्वारा नोटिस में वर्णित कारणों का प्रतिउत्तर न देते हुए अनुशासनहीनता पूर्वक उपखण्ड अधिकारी के आदेशों की निरन्तर अवहेलना की गई थी। अपचारी कार्मिक पर तत्समय लगाये गये आरोपों से अपचारी कर्मचारी अपने आपको दोषमुक्त करने में विफल रहा था। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए अपचारी कार्मिक द्वारा सही एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया था।

अपचारी कार्मिक का कथन कि अपचारी कर्मचारी को अपील प्रस्तुत करने के लिए नकले नहीं दी गई जबकि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत पारित निर्णय की प्रति जरिये तहसीलदार निवाई के कार्यालय के पत्र कमांक 1391—95 दिनांक 24—10—2018 से अपचारी कर्मचारी को भिजवाई जा चुकी थी। अपचारी कर्मचारी द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय व सम्पूर्ण पत्रावली की नकले चाहने पर उपलब्ध करवा दी गई थी। अपचारी कर्मचारी को अनुशासनिक अधिकारी द्वारा भू.अ.निरीक्षक करेडाबुजुर्ग अतिरिक्त चार्ज कस्बा निवाई को संबोधित करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वनस्थली से संबंधित कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया अपचारी कर्मचारी पर आरोप संख्या 1 से आरोपित किया गया है कि दिनांक 29—1—2018 को शहर निवाई में वरूण गांधी सांसद के आगमन पर प्रोटोकॉल व्यवस्था एवं कृषि मण्डी निवाई में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स तुलाई के संबंध में आन्दोलन किये जाने पर आपके निजी/सरकारी मोबाईल बन्द था। इस संबध में अपचारी कर्मचारी का कथन है कि दिनांक 29—1—2018 को अपचारी कर्मचारी द्वारा पटवार मण्डल दहलोद के ग्राम गोरधनपुरा, श्योपुरा, दयालपुरा, चिमनपुरा में सियाहा की जांच की जा रही

थी मेरे द्वारा कभी भी मोबाईल बन्द नहीं किया जाता है। गांव में मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं होने/संचार व्यवस्था की कमी के कारण मोबाईल नहीं मिलते है और बात नहीं हो पाती है।

आरोप संख्या 2 के संबंध में अपचारी कर्मचारी ने कथन किया कि अपचारी कार्मिक दिनांक 23–2–2018 को पटवार मण्डल कस्बा निवाई की गश्त गिरदावरी की जांच हेतु रेकार्ड प्राप्त किया गया था उसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, निवाई के साथ पंचायत समिति सदस्य उप चुनाव मतदान केन्द्र करेड़ा बुजुर्ग, तुर्किया व हिंगोनिया का निरीक्षण करवाया गया था। उक्त दिवस को अपचारी कार्मिक ने उपखण्ड अधिकारी निवाई के साथ रहकर कार्य किया था। अपचारी कार्मिक के द्वारा राजकार्य में कोई लापरवाही नहीं की गई है और न ही आदेशों की अवहेलना की गई है। अपचारी कार्मिक के पास भू.अ. निरीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार होने के उपरान्त भी समस्त राजकार्य समय पर सम्पादित किये गये है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मोबाईल बन्द होने पर वार्ता नहीं हो पायी इस कारण उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा अपचारी कार्मिक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि कभी कभी मोबाईल टावर नहीं आने एवं कनेक्टिविटी नहीं होने तथा दूर गांव में होने के कारण मोबाईल पर वार्ता नहीं होने के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। दौराने व्यक्तिगत सुनवाई अपने कथन के समर्थन में अपचारी कर्मचारी द्वारा उनके प्रकरण में जिला कलक्टर (भू0अ0) टोंक द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री हरिताभ आदित्य से इस बाबत् चाहे गये स्पष्टीकरण के पत्र कमांक 83 दिनांक 03.01.2019 की प्रस्तुत छायाप्रति का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही बिना सक्षम अधिकारिता के की गई है अतएवं ऐसी स्थिति में अपचारी कर्मचरी के विरूद्ध की गई कार्यवाही दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपचारी कार्मिक श्री दिनेश कुमार पारीक भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा दण्ड से पारित दण्डादेश दिनांक 24.10.2018 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा परिनिन्दा के दण्ड बाबत पारित दण्डादेश दिनांक 24—10—2018 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर